# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

**पंचम् झारखण्ड विधान-सभा**
**अष्टम् (बजट) सत्र**

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 22.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. |
| 01- | श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स0वि0स0 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लातेहार जिले का पुनरीक्षित सर्वे का अंतिम प्रकाशन के पश्चात् दफा-87 के शिविर न्यायालय बंद करते हुए उक्त जिले का पुनः मिनीसर्वे कराने की अधिसूचना निर्गत की गई है। पुनरीक्षित सर्वे के दौरान रैयतों द्वारा भूमि की खरीद बिक्री एवं सरकार द्वारा सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन रैयतों के साथ गै0मा0 भूमि की बंदोबस्ती एवं लगान निर्धारण की जाती रही थी। जिसका रेकड़ ऑफ राइट के लिए रैयतों द्वारा दफा- 87 न्यायालयों में वाद लाया गया था राजस्व न्यायालय द्वारा दायर वादों में उचित निर्णय भी रैयतों के पक्ष में दे कर वादों का निस्तार कर दिया गया है, परन्तु सर्वे खतियान में अधिकांश मामलों का सुधार (तरमीम) ना होने के कारण ऑनलाईन जमाबंदी में रैयतों के नाम नहीं चढ़ने से भू-विक्रेता के नाम ही रेकड ऑफ राईट दिखाई पड़ रहे हैं जिससे क्रेता-विक्रेता के बीच भू-विवाद पढ़ रहे है इसके साथ ही सरकारी भूमि के बंदोबस्ती धारकों के नाम सर्वे खतियान में तरमीम न होने अथवा तरमीम के पश्चात भी ऑनलाईन जमाबंदी कायम नहीं होने के कारण एक तरफ तो- | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व की क्षति हो रही है दूसरी तरफ भू-विवाद बढ़ रहे हैं और सरकार का भू-बंदोबस्ती का उद्देश्य भी विफल हो रहा है।<br>अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दफा-87 में निर्णित मामलों का सर्वे खतियान में तरमीम एवं उसकी ऑनलाईन जमाबंदी कायम कराने की व्यवस्था की जाए। | |
| 02- | डॉ0 सरफराज अहमद<br>स0वि0स0 | स्थानीय समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि झारखण्ड राज्य में 59 राजकीयकृत प्लस-टू स्कूलों में 12 विषयों में स्नाकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद रिक्त है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्रांक- 383, दिनांक- 23.02.2022 द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इन स्कूलों में स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदो का ब्यौरा मांगा है। उनसे हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, कॉमर्स और मैथिली विषय में शिक्षकों की जानकारी मांगी है। उल्लेखनीय है कि इस राजकीयकृत प्लस-टू के स्कूलों में उर्दू विषय की पढ़ाई के लिए स्नोकोत्तर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों की जानकारी नहीं मांगी गयी है। इनके रिक्तियों की जानकारी लेना श्रेयस्कर होगा।<br>अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में राज्य के राजकीयकृत प्लस-टू स्कूलों में उर्दू विषय के स्नाकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता |
| 03- | डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता<br>स0वि0स0<br>श्री मनीष जायसवाल<br>स0वि0स0<br>श्री बिरंची नारायण<br>स0वि0स0 | पलामू जिला के पाँकी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष- 2005 से 2019 तक जिला अजाबद्ध निधि तथा अन्य कई योजनाओं से पूरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सैकड़ों भवनों का निर्माण कराया गया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के भवन-प्रखण्ड पाँकी के ग्राम बोरोदिरी, आसेहार, लोहरसी, प्रखण्ड हरहसी के गोईन्दी | भवन निर्माण |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | पाटक पगार तथा प्रखण्ड नीलाम्बर-पीताम्बर पुर के गोराडीह, गेठ, बाँसडीह में दो भवन का निर्माण कराया गया। शिक्षा विभाग के भवन मनातू प्रखण्ड के स्तरोन्नत+2 उच्च विद्यालय, चक, तरहसी प्रखण्ड के +2 उच्च विद्यालय सिलदिलिया कला, नीलाम्बर-पीताम्बर पुर प्रखण्ड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, एरूआ, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चौरा, सतबरवा प्रखण्ड के ग्राम सोहही में +2 उच्च विद्यालय इसी तरह से कई सरकारी भवन का निर्माण सिर्फ ठेकेदारी करने के उद्देश्य से कराया गया है। आज तक संबंधित विभागों को उपर्युक्त सभी भवनों को हस्तांतरित नहीं कराया गया है। जिसके कारण ये भवन आज तक बनते-बनते जर्जर हो गये हैं। वर्त्तमान में ग्रामीणों के द्वारा इन सरकारी भवनों में अपने मवेशीयों को बांधा जाता है तथा असमाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है।<br>आश्चर्यजनक विषय यह है कि उपरोक्त अधिकांश भवनों का निर्माण, अधिकतर भवनों का निर्माण ग्रामीण विकास (विशेष प्रमण्डल), पलामू के द्वारा कराया गया है। उक्त सभी भवनों का निर्माण ग्रामीण विकास (विशेष प्रमण्डल), पलामू के तत्कालीन कनीय अभियंता श्री मिथिलेश कुमार पाण्डेय के द्वारा कराया गया है। पैरवी और धन-बल के कारण पलामू गृह जिला होने के बावजूद लगभग 15 वर्षों तक एक ही जगह, पाँकी विधान सभा में पदस्थापित रहे।<br>अतएव मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूँ कि उपरोक्त भवनों के निर्माण में सरकार के राशि के दुरूपयोग के दोषी अभियंताओं एवं संवेदकों को चिन्हित कर लगभग 15 वर्ष के कार्यकाल की जाँच विशेष कमिटि गठित करते हुए कराने की माँग करता हूँ। साथ ही सभी जर्जर भवन के | |

कृ0पृ030-

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | निर्माण कार्य पूरा करावार हस्तांतरण प्रक्रिया पूरा कराकर लागत राशि के संबंधित अभियंताओं के पेंशन एवं वेतन से कटौती करने की माँग करता हूँ। | |
| 04- | श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0 | झारखण्ड राज्य के 170 इंटर कॉलेज, 106 हाई स्कूल, 33 संस्कृत विद्यालय, 43 मदरसा, स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त तथा 200 स्कूल राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त एवं अन्य वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के करीब 10,000 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को छात्र-छात्राओं की संख्या और रिजल्ट के आधार पर साल में एक बार सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान मे से जहाँ छात्र संख्या कम है वहाँ के लोगों को पाँच हजार तथा जहाँ छात्र संख्या अधिक है वहाँ दस से बारह हजार रुपये से ही अपने परिवार का भरण-पोषण करना पड़ता है। कई संगठनों द्वारा लगातार वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की माँग की जाती रही है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कार्मिक प्रशासनिक विभाग को इस संबंध में पत्र भी प्रेषित किया गया है परन्तु वर्तमान समय तक इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं ली जा सकी है।<br>अतएव झारखण्ड राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने हेतु सरकार का ध्यान-आकृष्ट करती हूँ। | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता |
| 05- | श्री अमर कुमार बाऊरी स0वि0स0<br>श्री रणधीर कुमार सिंह स0वि0स0<br>श्री नीलकंठ सिंह मुन्ना स0वि0स0 | झारखण्ड में एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति तांती अर्थात तांतवा अर्थात तन्तुबाई है, यानि तांती, तांतवा, तन्तुबाई भाषा अलग-अलग होने के कारण तीनों शब्द अलग है, परन्तु जाति एक ही है। बांग्ला भाषा के तांती, तंतवा जाति के लोग बांग्ला भाषा में तन्तुबाई शब्द का व्यवहार करते हैं और इसलिए जिन लोगों की जमीन के खतियान में तांती या तांतवा है, उसका जाति प्रमाण-पत्र निर्गत हो रहा है परन्तु वैसे बांग्ला भाषी लोग जिनकी | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा |

कृ0पृ030-

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | जमीन के खतियान में तन्तुबाई लिखा है, उसका जाति प्रमाण-पत्र निर्गत होने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।<br>ज्ञातव्य है कि 1932 के सर्वे के समय बहुत सारे वर्गो का खतियान बांग्ला भाषा में लिखा गया था और वही खतियान आज भी चला आ रहा है। बांग्ला भाषा में तांती, तांतवा को ही तन्तुबाई कहा जाता है। चूँकि उस समय खतियान बांग्ला भाषा में लिखा गया था, इसलिए उस समय तांती, तांतक के स्थान पर बांग्ला भाषा में तन्तुबाई शब्द उल्लेखित किया गया था।<br>झारखण्ड में सरकारी सूची में तांती, तांतवा जाति शब्द दर्ज है, परन्तु तन्तुबाई शब्द दर्ज नहीं है।<br>अतः तांती, तांतवा के उक्त जाति के बांग्ला भाषी के लोगों के तन्तुबाई शब्द को भी सरकार की सूची में दर्ज कराया जाय ताकि बांग्ला भाषा वालों को अपना बांग्ला खतियान के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करा सके इस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। | |

रॉंची,
दिनांक- 22 मार्च, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

कृ०पृ०उ०-

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-1434/वि0 स0, राँची, दिनांक- 21/03/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/भवन निर्माण विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-1434/वि0 स0, राँची, दिनांक- 21/03/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

21.03.22